सन्दर्भ के बिंदु (निदेश पद)

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के लिए निदेश पद अधिसूचना संख्या आर जी 47/दस-2012-70/09 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 द्वारा प्रतिपादित किये गये हैं, जो निम्न प्रकार हैः-

राज्य वित्त आयोग, पंचायतों तथा नगरीय स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा करेगा तथा श्री राज्यपाल को निम्नलिखित विषयों के संबंध में अपनी संस्तुतियाँ देगाः-

(अ) सिद्धान्त, जो संनियमित करेंगेः-

राज्य और ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के मध्य राज्य सरकार द्वारा उदग्रहीत करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों के शुद्ध आगम, जो संविधान के भाग-9 व 9-ए के अधीन, उनमें विभाजित किये जाने हैं, या विभाजित किये जाये, के वितरण के बारे में और उक्त सभी स्तरों की पंयायतों और नगरीय स्थानीय निकायों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी अंश के आवंटन के बारे मेंः-

ऐसे करों, शुल्कों, पथकरों और फीसों, जिन्हें ग्राम/जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों को समनुदेशित किया जाना है अथवना जिन्हें उनके द्वारा हस्तगत किया जाना है, के अवधारण के बारे मेः-

राज्य की संचित निधि में से ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों नगरीय स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान के रूप में संदेय राशियों को शासित करने वाले सिद्धान्तों के बारे मेंः

(ब) ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय स्थिति मे सुधार लाने के लिये आवश्यक उपायों के बारे मेंः

(स) कोई अन्य विषय, जिन्हें श्री राज्यपाल द्वारा ग्राम/क्षेत्र/जिला पंचायतों और नगरीय स्थानीय निकायों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्त आयोग को निर्दिष्ट किया जाय।

राज्य वित्त आयोग अपनी संस्तुतियाँ देते समय अनय के साथ-साथ निम्नलिखित विषयों को भी संज्ञान में रखेगाः-

(1) राज्य सरकार के वित्तीय संसाधन तथा उ0प्र0 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्ध अधिनियम 2004 (द्वितीय संशोधन) 2011 के अधीन राज्य सरकार की वचनबद्धताः

(2) सभी स्तरों की ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीयनिकायों के वित्तीय संसाधनोंे का आंकलन। अतिरिक्त संसाधनों के सृजन हेतु निकायों के प्रयास, तत्संबंधी प्रोत्साहन योजना एवं सुझावः

(3) आयोग सभी पंचायतों तथा नगरीय निकायों की 31 मार्च, 2009 को अदत्त ऋण की स्थिति का आंकलन करेगा और ऐसे सुधारात्मक उपाय सुझायेगा, जो उनके ऋण दायित्वों के नियंत्रण के लिये आवश्यक होः

(4) संस्तुति किये जाने वाले संक्रमण सिद्धांत में अपनाये गये संकेतकों में आयोग की पंचाट अवधि (अवार्ड-पीरियड) के दौरान, शहरीकरण अथवा अन्य किसी कारण से, परिवर्तन की स्थिति में, निकायों को अंतरित की जाने वाली धनराशि के निर्धारण की प्रक्रियाः

(5) तेरहवें वित्त आयोग के प्रतिवेदन में राज्यों के राज्य वित्त आयोगों के संबंध में की गयी संस्तुतियाँ एवं अनुबन्ध-10.5 में दिये गये रूप-रेखा (टैम्पलेट) का अनुसरण:

6- आयोग की पंचाट अवधि के मध्य किसी भी स्तर के स्थानीय निकाय (नगरीय एवं ग्रामीण) के क्षेत्रफल/जनसंख्या में परिवर्तन होने की दशा में आयोग द्वारा संस्तुत संक्रमण के पुनः निर्धारण के सम्बन्ध में मार्गदर्शी सिद्धान्तों का निर्धारण करेगा।

7- राज्य वित्त आयोग पूर्वोक्त प्रत्येक विषय पर 01 अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ होने वाले पांच वर्ष की अवधि के लिये अपनी रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा। इस बीच चैदहवें वित्त आयोग के उपयोगार्थ एक अन्तरिम रिपोर्ट उपलब्ध करायेगा।

इसके साथ ही अधिसूचना संख्या आर0जी0 461/दस-2012-70/09 दिनांक 16 मई, 2012 के माध्यम से निम्न निदेश पद जोड़ा गया हैः-

कतिपय स्थानीय निकायों का सीमा विस्तार वर्ष 2001 के पश्चात होने के कारण उनके क्षेत्रफल एवं जनसंख्या में परिवर्तन एवं ऐसी निकायों जिनके स्तर का उन्नयन हुआ है, को चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की संस्तुति की प्रत्याशा में तृतीय राज्य वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार दिये जा रहे अंतरण के पुनः निर्धारण के विषय में, 3 माह में आयोग द्वारा संस्तुति दी जायेगी।